No 6x4

संo–309/एक–11–2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11

लखनऊ : दिनांक 24 अप्रैल, 2020

विषयः कोविड–19 कोरोना महामारी के दृष्टिगत माह अप्रैल, 2020 में निशुल्क वितरित किये गये खाद्यान्न पर उचित दर विक्रेताओं को देय धनराशि का अन्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि खाद्य रसद अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–616/29–6–2020–345सा/12–टीसी, दिनांक 24–03–2020 में अन्त्योदय लाभार्थियों को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क वितरित कराये जाने पर उचित दर विक्रेताओं को भुगतान की जाने वाली धनराशि रु0 85/– प्रति परिवार एवं मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक जिन्हें पात्र गृहस्थी राशन कार्ड निर्गत है, के परिवारों को 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने पर विक्रेता को देय धनराशि रु0 12/– प्रति यूनिट की दर से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उचित दर विक्रेताओं के बैंक खाते में वितरण प्रमाणित होने के उपरान्त धनराशि अन्तरित किये जाने की व्यवस्था है।

2– उक्त व्यवस्था के कम में माह अप्रैल, 2020 में 3,80,06,732 लाभार्थियों को निशुल्क वितरित किये गये 2,65,360.285 (1,55,205.381 मीट्रिक टन गेंहू तथा 1,10,154.904 मीट्रिक टन चावल) मीट्रिक टन खाद्यान्न की रु0 64,08,75,474.00 (रुपये चौसठ करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार चार सौ चौहत्तर मात्र) की धनराशि उचित दर विक्रेताओं को प्रदान की जानी है।

3– इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राजस्व अनुभाग–10 के शासनादेश संख्या–161/एक–10–2020–33(221)/2011 टी0सी0–2 दिनांक 27.03.2020 द्वारा कोविड–19 की महामारी/लाकडाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु रु0 13.50 करोड़ की धनराशि और शासनादेश संख्या–165/एक–10–2020–33(221)/2011 टी0सी0–2 दिनांक 01.04.2020 द्वारा कोविड–19 की महामारी/लाकडाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु रु0 215.00 करोड़ की

2-

धनराशि समस्त जनपदों को अग्रिम रूप में आवंटित की गयी है। इस प्रकार रु0 228.50 करोड़ की धनराशि अग्रिम रूप में आवंटित की जा चुकी है।

4— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया माह अप्रैल, 2020 में 3,80,06,732 लाभार्थियों को निशुल्क वितरित किये गये कुल 2,65,360.285 मीट्रिक टन खाद्यान्न की रु0 64,08,75,474.00 (रुपये चौसठ करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार चार सौ चौहत्तर मात्र) की धनराशि आवंटित उक्त धनराशि से जिलापूर्ति अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत धनराशि की मॉग पर राजस्व अनुभाग—11 के शासनादेश संख्या—198/एक—11—2020—रा0—11, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित व्यवस्था के अनुसार उचित दर विक्रेताओं के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—309(1)/एक—11—2020, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
10. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
11. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
13. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
14. राजस्व अनुभाग—10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।